

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, चन्दौली।

नोटिस

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित Hon'ble Committee constituted for Sensitization of Family Court Matter's द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में धारा 13 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के परन्तुक के प्रकाश में **Amocus Curiae** हेतु अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाना है।

अतः पारिवारिक विवाद/परिवार न्यायालय से सम्बन्धित मामलो में दस वर्ष की अर्हता रखने वाले इच्छुक अधिवक्तागण इस हेतु आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अधिवक्तागण दिनांक 25-11-2021 तक अपने बायोडाटा के साथ आवेदनपत्र परिवार न्यायालय चन्दौली के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

दिनांक 15-11-2021

R. K. Pandey 15/11/21

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
चन्दौली।